संख्याःशिक्षा–एच0;ई0ई0 (4) 4–17/2017–18 Instructions.
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश ।
दिनांक शिमला–171001 8th अप्रैल, 2019

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
10 APR 2019
शिमला–1

सेवा में,

1. समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

विषय :– प्रदेश की पाठशालाओं में **"मध्याहन भोजन योजना"** के अन्तर्गत हरित कचरा **(Green Waste)** के उपयुक्त निपटारे बारे दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित ही है कि प्रदेश की 15,504 पाठशालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी बच्चों को पाठशाला कार्यदिवस पर पाठशाला में ही दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है । उक्त योजना को पाठशालाओं में कार्यन्वित करने हेतु पाठशाला प्रबन्धन समिति द्वारा प्रत्येक पाठशाला में बच्चों की संख्या के आधार पर 21,753 मिड डे मील वर्करज़ **(CCH's)** लगाये गये है। जिन्हें सरकार द्वारा वर्तमान में मु0 2000/– रूपये प्रतिमाह (दस माह हेतू) मानदेय दिया जाता है । उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सरकारी पाठशालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक शिक्षा ग्रहण कर रहे 5,08,012 बच्चे प्रतिदिन प्रति पाठशाला दिवस लाभान्वित हो रहे है।

इस सन्दर्भ में माननीय राष्टीय हरित प्राधिकरण. द्वारा ओ0ए0 संख्या 606/2018 में दिनांक 16–01–2019 को पारित ओदश की अनुपालना की समीक्षा हेतू गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 22–02–2019 को आयोजित प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार आपसे अनुरोध है कि आप अपने –अपने जिला एंवम् खण्ड के अन्तर्गत सभी पाठशालाओं को यह निर्देश जारी करे कि प्रत्येक पाठशाला के मिड डे मील टिचर इंचार्ज़ /मिड डे मील वर्करज़ तथा पाठशाला प्रबन्धन समिति प्रत्येक पाठशाला में यह सुनिश्चित करें कि **"मध्याहन भोजन योजना"** के अन्तर्गत पाठशाला स्तर पर हरित कचरे **(Green Waste)** के उपयुक्त निपटारे हेतु प्रत्येक पाठशाला में पाठशाला प्रबन्धन समिति की सहायता से पाठशाला के आसपास एक छोटा गढा बनायें तथा प्रतिदिन मध्याहन भोजन योजना से सम्बन्धित हरित कचरे **(Green Waste)** जैसे कि सब्जी /फलों के छिलके, बचे हुए भोजन तथा अन्य सम्बन्धित हरित कचरे को उस गढे में ही डाले तथा उस गढे को ढक कर भी रखे। कुछ समय पश्चात गढे में एकत्रित हरित कचरा खाद के रूप में परिवर्तित होने के उपरान्त उस खाद का उपयोग-पाठशाला में बने किचन गार्डन में करें, जिसके फलस्वरूप जहां पर एक तरफ पाठशाला स्तर पर हरित कचरे का उपयुक्त निपटारा होगा वहीं दूसरी तरफ पाठशाला के इर्द गिर्द साफ, सुथरा एंव स्वच्छ वातावरण भी रहेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उक्त दिशा निर्देशों को सभी पाठशालाओं में उपलब्ध करवाए तथा इसका कार्यपालन सुनिश्चित करें ।

हितेश आजाद (हि0प्र0 से0)
संयुक्त निदेशक प्रा0शि0निदेशालय (प्र0)
हिमाचल प्रदेश 171001

पृष्ठांकन संख्या : सम दिनांक शिमला – 171001 8 अप्रैल, 2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला– 171002 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सदस्य सचिव हि0प्र0 राज्य प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड हिम परिवेश फेज न0–111 न्यू शिमला –171009 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निदेशक उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला –171001 को सूचनार्थ एंवम् आगामी आवश्यक कार्रवाही हेतू प्रेषित है।
4. रक्षक नास्ति।

हितेश आजाद (हि0प्र0 से0)
संयुक्त निदेशक प्रा0शि0निदेशालय (प्र0)
हिमाचल प्रदेश 171001

6987
22/5/19

Endst No. EDN-U (G-1) MDM Instructions /- 11961 Dated 28/5/2019

Office of the Deputy Director of Higher Education Una District Una (HP)

Copy to:-

1. The Director of Elementary Education Shimla-1 for information please.
2. All the Principal/Headmasters GSSS/HS in Una District for information and strict compliance.

Deputy Director of Higher Education
Una District Una (HP)